

उपकार
उत्तराखण्ड

संचिवालय/लोक सेवा आयोग
एवं यजस्व परिषद कार्यालय

समीक्षा अधिकारी एवं
सहायक समीक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक परीक्षा

लेखकद्वय

डॉ. लाल एवं जैन

उपकार प्रकाशन, आगरा

Introducing Direct Shopping

*Now you can purchase from our vast range
of books and magazines at your convenience :*

- Pay by Credit Card/Debit Card or Net Banking facility on our website www.upkar.in OR
- Send Money Order/Demand Draft of the print price of the book favouring 'Upkar Prakashan' payable at [Agra](#). In case you do not know the price of the book, please send Money Order/Demand Draft of ₹ 100/- and we will send the books by VPP (Cash on delivery).

(Postage charges FREE for purchases above ₹ 100/. For orders below ₹ 100/, ₹ 20/- will be charged extra as postage)

© प्रकाशक

प्रकाशक

उपकार प्रकाशन

हैंड ऑफिस : 1 स्टेट बैंक कॉलोनी, निकट खन्दारी, आगरा-मथुरा बाई-पास, आगरा-282 005

रजि. ऑफिस : 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर (शाह सिनेमा के सामने), आगरा-282 002

फोन : 2530966, 2531101

E-mail : care@upkar.in, Website : www.upkar.in

ब्रांच ऑफिस :

4845, अन्सारी रोड, दरियागंज,

पारस भवन (प्रथम तल),

16-11-23/37, मूसारामबाग, टीगन गुड़ा

नई दिल्ली-110 002

खजांची रोड,

आर.टी.ए. ऑफिस के सामने मेन रोड

फोन : 011-23251844,

पटना-800 004

(यूनियन बैंक के बगल में), हैदराबाद-500 036 (तेलंगाना)

43259035

फोन : 0612-2303340

फोन : 040-24557283

8-310/1, ए. के. हाऊस,

हीरानगर, हल्द्वानी,

जिला-नैनीताल-263 139 (उत्तराखण्ड)

मोबा. : 7060421008

- इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी त्रुटि के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा।
- इस पुस्तक को अथवा इसके किसी अंश को बिना प्रकाशक की लिखित अनुमति के, किसी भी रूप-फोटोग्राफी, विद्युत-ग्राफिक, यान्त्रिकी अथवा अन्य रूप में किसी भी प्रकार से उपयोग के लिए नहीं छापा जा सकता है।
- किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल आगरा ही होगा।

ISBN : 978-93-85888-63-2

Code No. 2439

मुद्रक : उपकार प्रकाशन (प्रिंटिंग यूनिट) बाई-पास, आगरा

विषय-सूची

- पिछला प्रश्न-पत्र हल सहित

● सामान्य ज्ञान	1-80
— भारतीय इतिहास	3
— भारत का भूगोल	18
— विश्व का भूगोल	31
— भारतीय राजव्यवस्था	38
— राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन	50
— भारतीय अर्थव्यवस्था	60
— संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	69
— पुरस्कार एवं सम्मान	72
— पुस्तकें एवं लेखक	75
— खेलकूद	78
● राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम	1-12
● सामान्य विज्ञान	1-16
● उत्तराखण्ड : सामान्य ज्ञान	1-64
● उत्तराखण्ड : एक परिचय	3-8
● उत्तराखण्ड का राज्य प्राप्ति हेतु : संघर्ष आन्दोलन	9-10
— उत्तराखण्ड के अमर शहीद	10
● उत्तराखण्ड का इतिहास	11-12
● उत्तराखण्ड की मानवीय स्थिति (जनगणना-2011 के अंतिम आँकड़ों के अनुसार)	13-16
● उत्तराखण्ड की वन्य सम्पदा (वन और वनौषधि)	17-19
● उत्तराखण्ड : भूकम्प	20-21
● उत्तराखण्ड की भौगोलिक संरचना	22-24
● उत्तराखण्ड : वन्य जीवन	25-26
● उत्तराखण्ड की नदियाँ और झीलें	27-28
● उत्तराखण्ड की जनजातियाँ	29-31
● उत्तराखण्ड ऊर्जा संसाधन व बाँध	32-34
● उत्तराखण्ड कृषि एवं उद्योग	35-36
● उत्तराखण्ड : सिंचाई एवं जलवायु	37-37
● उत्तराखण्ड के मेले, उत्सव व लोकगीत	38-38

● उत्तराखण्ड के प्रमुख व्यक्ति	39–40
● उत्तराखण्ड और पर्यटन.....	41–44
● उत्तराखण्ड : सैन्य सम्पदा	45–46
● उत्तराखण्ड : परिवहन	47–47
● उत्तराखण्ड : सूचना प्रौद्योगिकी	48–48
● विविध तथ्य	49–50
● उत्तराखण्ड की लोककला एवं चित्रकला	51–52
● राज्य के प्रतीक चिह्न	53–53
● भाषा एवं बोलियाँ	54–54
● उत्तराखण्ड : बजट–2018-19	55–55
● विविध : सामान्य ज्ञान	56–56
● वस्तुनिष्ठ प्रश्न	57–64
☞ कम्प्यूटर ज्ञान	1–16
☞ सामान्य बुद्धि परीक्षा	1–72
1. सम्बन्ध अथवा सादृश्य परीक्षा	3
2. विजातीय छाँटना	13
3. क्रम परीक्षा	18
4. सांकेतिक भाषा परीक्षा	25
5. दिशा सम्बन्धी परीक्षा	36
6. रिश्ता सम्बन्धी परीक्षा	41
7. कथन की सत्यता की पुष्टि	43
8. छिपे हुए चित्र को ज्ञात करना	46
9. क्रम में व्यवस्थित करना	48
10. अक्षर सम्बन्धी प्रश्न	50
11. समय सम्बन्धी प्रश्न	53
12. वैन आकृति तथा चार्ट सम्बन्धी प्रश्न	56
13. आकृति को पूरा करना	61
14. नियम सम्बन्धी प्रश्न.....	63
15. दर्पण प्रतिबिम्ब सम्बन्धी प्रश्न.....	65
16. समान गुणों वाली आकृतियों का वर्गीकरण	67
17. अवयव सम्बन्धी प्रश्न	69
18. गणितीय चिह्नों के कल्पित मान सम्बन्धी प्रश्न	70

परीक्षा सम्बन्धी जानकारी

पदनाम—समीक्षा अधिकारी (उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद् कार्यालय)

शैक्षिक अर्हताएं

I. उत्तराखण्ड सचिवालय / उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हेतु—

- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता.
- (2) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की—डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति होनी आवश्यक है.
- (3) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसमें कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 8000 की—डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति होनी अनिवार्य है.
- (4) कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें समिलित होगा—
 1. विण्डोज एवं इंटरनेट, 2. एम.एस. वर्ड, 3. एम.एस. एक्सेस, 4. एम.एस. एक्सेल, 5. एम.एस. पावर प्याइंट.

स्पष्टीकरण—कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी प्रकृति (Qualifying Nature) की परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

II. राजस्व परिषद् कार्यालय हेतु—

- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता.
- (2) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की—डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति होनी आवश्यक है.
- (3) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसमें कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 8000 की—डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति होनी अनिवार्य है.

अधिमानी अर्हता

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—

- (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
 - (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो (उत्तराखण्ड सचिवालय हेतु).
- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद् कार्यालय हेतु).

पदनाम—सहायक समीक्षा अधिकारी (उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद् कार्यालय)

शैक्षिक अर्हताएं

I. उत्तराखण्ड सचिवालय / उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हेतु—

- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता.
- (2) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की—डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति होनी आवश्यक है.
- (3) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसमें कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की—डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति होनी अनिवार्य है.
- (4) कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें समिलित होगा—
 1. विण्डोज एवं इंटरनेट, 2. एम.एस. वर्ड, 3. एम.एस. एक्सेस, 4. एम.एस. एक्सेल, 5. एम.एस. पावर प्याइंट.

स्पष्टीकरण—कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी प्रकृति (Qualifying Nature) की परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

II. राजस्व परिषद् कार्यालय हेतु—

- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता.

- (2) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की—डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति होनी आवश्यक है।
 (3) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसमें कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की—डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति होनी अनिवार्य है।

अधिमानी अर्हता

- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—
 (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
 (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो (उत्तराखण्ड सचिवालय हेतु).
 राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद् कार्यालय हेतु).

● आयु सीमा

- (क) निर्धारित तिथि को आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है।
 (ख) उच्चतम आयु सीमा में छूट-विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट सम्बन्धी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

● राष्ट्रीयता

- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—
 (क) भारत का नागरिक हो; या
 (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या
 (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश—केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो;
 परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;
 परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।
 परन्तु यह और कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।
 टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

● चरित्र

- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपर्युक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
 टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

● वैवाहिक प्रारूपिति

- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो;
 परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

● शारीरिक रखरखत

- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा

पड़ने की सम्भावना हो. किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह वित्त हस्त पुस्तिका के खण्ड दो से चार के अध्याय तीन में दिए गए मूल नियम 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

● आरक्षण

ऊर्ध्वाधर एवं क्षेत्रिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

● परीक्षा योजना

समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु परीक्षा योजना निम्नवत् है :

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	प्रश्न-पत्र	परीक्षा का स्वरूप	प्रश्न संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
1.	प्रारम्भिक परीक्षा	सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण	वस्तुनिष्ठ प्रकृति	150	150	02 घण्टे
2.	मुख्य परीक्षा	(i) सामान्य अध्ययन	वस्तुनिष्ठ प्रकृति	200	200	03 घण्टे
		(ii) हिन्दी संरचना	परम्परागत प्रकृति	05	100	03 घण्टे
		(iii) निबन्ध	परम्परागत प्रकृति	03	100	03 घण्टे
3.	प्रयोगात्मक परीक्षा	(i) कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा	अर्हकारी प्रकृति	—	100	01 घण्टा
		(ii) टंकण परीक्षा	अर्हकारी प्रकृति	—	—	10 मिनट

नोट—वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक-चौथाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा। दण्ड स्वरूप प्राप्त अंकों के योग को कुल प्राप्तांकों में से घटाया जाएगा।

पाठ्यक्रम प्रारम्भिक परीक्षा

विषय—सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समया : 02 घण्टे

अधिकतम अंक : 150

खण्ड-1 : सामान्य अध्ययन

अधिकतम अंक : 100

कुल प्रश्न : 100

- सामान्य विज्ञान एवं कम्प्यूटर से सम्बन्धित आधारभूत जानकारी : सामान्य विज्ञान एवं कम्प्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी सम्बन्धी प्रश्न विज्ञान एवं कम्प्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग, प्रेक्षण एवं अनुभव पर आधारित होंगे, जो कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हैं जिसका विज्ञान या कम्प्यूटर की किसी भी शाखा में विशेष अध्ययन न हो।
- भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन : भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे।
- भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था : भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित होंगे।
- भारत का भूगोल एवं जनांकिकी : इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक पारिस्थितिकीय और सामाजिक-आर्थिक जनांकिकीय पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे।

5. सम-सामयिक घटनाएँ : इसके अन्तर्गत प्रश्न समसामयिक उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं खेलकूद सहित की समझ पर आधारित होंगे।
6. उत्तराखण्ड का इतिहास : उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई. तक) : मध्यकाल (1200 से 1815 ई. तक) : प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका और इससे सम्बन्धित प्रमुख विभूतियाँ, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन, उत्तराखण्ड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान; विभिन्न समाज सुधार आन्दोलन तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम।
7. उत्तराखण्ड की संस्कृति : जातियाँ एवं जनजातियाँ, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परम्पराएँ एवं रीति-रिवाज, वेश-भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, खान-पान, कला शिल्प; नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन-स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद, प्रतियोगिताएँ एवं पुरस्कार, उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिन्दी-साहित्य एवं लोक-साहित्य में योगदान, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम।
8. उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी : भौगोलिक स्थिति. उत्तराखण्ड हिमालय की प्रमुख विशेषताएँ. उत्तराखण्ड में नदियाँ, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी. प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र. सिंचाई के साधन. कृषि जोतें. प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएँ एवं आपदा प्रबन्धन. जल संकट और जलागम प्रबन्धन. दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएँ. पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन. जैव विविधता एवं इसका संरक्षण. उत्तराखण्ड की जनसंख्या : वर्गीकरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पतायान।
9. उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश

राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश : उत्तराखण्ड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती-राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता।

प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : गोरखा एवं ब्रिटिश शासनकाल में भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाएँ— जिला भूमि प्रबन्धन (थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं सोयम वन केशर हिन्द (बैनाप भूमि) नजूल, नयाबाद बन्दोबस्त). आधुनिक काल—उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊँ—उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि-सुधार, लैंड टैन्योर में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था. राजस्व पुलिस-व्यवस्था.

आर्थिक परिवेश : सीमान्त जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकर स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा डडवार प्रथा।

10. **आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन :** मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान; वन, जल, जड़ी-बूटी, कृषि, पशुधन, जल-विद्युत्, खनिज, पर्यटन, उद्योग (लघु व ग्रामीण), संसाधनों के उपयोग की स्थिति। उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ / आर्थिक क्रियाएँ एवं इनका राज्य जी.डी.पी. में योगदान, उत्तराखण्ड में विकास की प्राथमिकताएँ व नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएँ। उत्तराखण्ड में विपणन की सुविधाएँ तथा कृषि मंडियाँ, उत्तराखण्ड के बजट की प्रमुख विशेषताएँ।

खण्ड-2 : सामान्य बुद्धि परीक्षण

अधिकतम अंक : 50

कुल प्रश्न : 50

1. **सामान्य बुद्धिमता :** इसके अन्तर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमता से सम्बन्धित जैसे शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे और इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अन्तरों, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बन्ध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या शृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उनके सम्बन्ध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे।